मध्य प्रदेष ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेषन कार्पोरेषन लिमिटेड, भोपाल

विषय :— राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की दसवीं बैठक, दिनांक 17/06/2009 का कार्यवाही विवरण ।

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना—2004 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की दसवीं बैठक दिनांक 17/06/2009 को प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई । बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट पर है । बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :—

1. **एजेण्डा क्रमांक 1 :—** समिति की नवमीं बैठक दिनांक 03/01/2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई ।

2. **एजेण्डा क्रमांक 2 :—** समिति की नवमी बैठक दिनांक 03/01/2009 के पालन प्रतिवेदन से सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया ।

3. **एजेण्डा क्रमांक 3 :—** मध्यप्रदेष उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजना—2004 अन्तर्गत पंजीयन हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक 31/03/2009 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेष उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजना—2004 के नियम स्वयं स्पष्ट हैं, अतः नियमों के अनुसार कार्यवाही करें तथा प्राप्त प्रकरणों में पंजीयन जारी करते समय आधारभूत जानकारी होना सुनिष्चित किया जावे ।

4. **एजेण्डा क्रमांक 4 :—** मध्यप्रदेष उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजना के अन्तर्गत इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात विलंब से योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्ष पश्चात निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरण/प्रस्ताव जिनमें उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से अधिकतम तीन माह के अन्दर अथवा नियमों में संषोधन के परिप्रेक्ष्य में पात्रता आने के कारण संषोधन जारी होने की दिनांक से अधिकतम तीन माह (90 दिवस) में पंजीयन हेतु आवेदन सम्बन्धित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अथवा ट्रायफेक में प्रस्तुत किया गया हो, एवं इकाईयों द्वारा विलंब के संबंध में शपथ—पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसी इकाईयों के आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब को षिथिल किया जावे। इस आधार पर समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

(अ) योजनान्तर्गत उत्पादन प्रारंभ करने के 90 दिवस के अन्दर प्राप्त आवेदनों पर इकाई के शपथ–पत्र के आधार पर निम्न इकाईयों के पंजीयन हेतु विलंब को षिथिल कर पंजीयन जारी करने का निर्णय लिया गया :–

i. मेसर्स डिलाईट डेयरी लिमिटेड, देवास ।
ii. मेसर्स षिवालिक व्यापार प्रायवेट लिमिटेड, पंचडेरिया, तह. सांवेर, जिला इन्दौर ।
iii. मेसर्स मल्लिका एलॉय कास्ट प्रा0लि0, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर ।
iv. मेसर्स महाकौषल शुगर एवं पॉवर इंड. लि. बचई, जिला नरसिंहपुर (विस्तारित इकाई) ।
v. मेसर्स नर्मदा एक्स्ट्रूजन लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर ।

(ब) उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु नियमों में संषोधन के परिप्रेक्ष्य में पात्रता आने पर नियमों में संषोधन जारी होने की दिनांक से 90 दिवस के अन्दर प्राप्त आवेदनों पर इकाई के शपथ–पत्र के आधार पर निम्न इकाईयों के पंजीयन हेतु विलंब को षिथिल कर पंजीयन जारी करने का निर्णय लिया गया :–

i. मेसर्स प्रिमको पिक एण्ड पैक लिमिटेड, मनेरी जिला मण्डला ।
ii. मेसर्स मिमानी वायर्स प्रायवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर ।
iii. मेसर्स दुर्गा खाण्डसारी प्रायवेट लिमिटेड, औद्योगिक संस्थान सुकुलूढ़ाना, छिंदवाड़ा ।
iv. मेसर्स जयदीप ग्लास वर्क्स औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर ।
v. मेसर्स इण्डोलेब्स, इन्दौर ।

(स) उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु अत्यधिक विलंब (90 दिवस से अधिक) से आवेदन करने एवं नियमों में संषोधन के परिप्रेक्ष्य में पात्रता आने पर नियमों में संषोधन जारी होने के अत्यधिक विलंब (90 दिवस से अधिक) से आवेदन करने के कारण निम्न इकाईयों के विलंब को अमान्य कर पंजीयन नही करने का निर्णय लिया गया :–

i. मेसर्स महाकौषल शुगर एवं पॉवर इंड. लि. बचई जिला नरसिंहपुर ।
ii. मेसर्स सुप्रीम इंजी, वर्क्स, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर ।
iii. मेसर्स सुनील ऑटोकाम प्रायवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर ।
iv. मेसर्स जयदीप इस्पात एण्ड एलॉय प्रा0लि0, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर ।
v. मेसर्स भास्कर वेंकटेष, भोपाल ।
vi. मेसर्स अमृत रिफाइण्ड प्रायवेट लिमिटेड, मंदसौर ।
vii. मेसर्स विण्डाल्स एण्ड विण्डाल्स इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड, मण्डीदीप, जिला रायसेन ।
viii. मेसर्स कोच्छड़ ग्लास प्रायवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 18–19, सेक्टर–ए, औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल ।

5. **एजेण्डा क्रमांक 5 :–** इकाई अथवा उत्पाद विषेष हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की नियम एवं अपात्र उद्योगों की सूची के परिप्रेक्ष्य में पात्रता निर्धारण हेतु चर्चा उपरांत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(अ) मेसर्स मिड इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार का योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु उत्पादन क्षमता निर्धारण बावत् :–

मेसर्स मिड इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला धार का योजान्तर्गत पंजीयन हेतु उत्पादन क्षमता निर्धारण बावत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । कम्पनी द्वारा बंद इकाई मेसर्स कुसुम इंगाट एण्ड एलायस लिमिटेड, पीथमपुर को आई.डी.बी.आई. से रूपये 805.81 लाख में क्रय की गई । इकाई द्वारा योजनान्तर्गत नवीन इकाई के रूप के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है । योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन अनुसार कुल स्थिर पूँजी निवेष रूपये 3090.30 लाख है, जिसमें क्रय की गई बंद इकाई का मूल्य सम्मिलित है । आवेदन अनुसार संभावित उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक 25/12/2007 है ।

इकाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 19/08/2008 में मेगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आने वाली सुविधाऐं (नवीन इकाई का दर्जा, उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, प्रवेष कर छूट इत्यादि) स्वीकृत शासन के पत्र दिनांक 29/05/2008 द्वारा सूचित की गई है ।

उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत विद्यमान इकाई से आषय ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसनें दिनांक 01/04/2004 के पूर्व अथवा उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा विद्यमान इकाईयों को विस्तार क्षमता पर लाभ दिए जाने हेतु योजना में प्रावधान है ।

शासन द्वारा योजनान्तर्गत अपात्र उद्योगों की संषोधित सूची दिनांक 23/09/2008 द्वारा अपात्र उद्योगों की कंडिका क्रमांक 42 में निम्न संषोधित प्रवृष्टि की गई है – ''किसी उद्यमी द्वारा पुनर्जीवित की गई बंद औद्योगिक इकाई (किसी उद्यमी द्वारा अधिगृहित कर पुनर्जीवित की गई ऐसी बंद औद्योगिक इकाई को छोड़कर, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना के परिषिष्ट '6' के अन्तर्गत उल्लेखित सुविधा/सुविधाओं का पैकेज सक्षम समिति द्वारा स्वीकृत हो गया हो)'' ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा विचार उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में उच्च स्तरीय समिति द्वारा विषेष पैकेज स्वीकृत किया गया है, जिसमें नवीन इकाई मान्य करने का भी उल्लेख सम्मिलित है । अतः इकाई को नवीन इकाई मान्य करते हुए योजनान्तर्गत सुविधा दिए जाने का निर्णय लिया गया, परन्तु इकाई द्वारा बंद इकाई क्रय करने में किए गए पूंजी निवेष को मान्य स्थिर पूंजी में सम्मिलित नही किया जावे ।

(ब) मुद्रण प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्रता के संबंध में :– समिति द्वारा मुद्रण प्रक्रियाओं संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों के सन्दर्भ में निर्णय लिया कि प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रकरणवार परीक्षण कर भारत शासन की राज्य स्तरीय संस्था सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग संस्थान, इन्दौर से अपात्र उद्योगों के परिप्रेक्ष्य में अभिमत लेकर प्रकरणों के पंजीयन के संबंध में विचार किया जावे ।

(स) मध्यप्रदेष उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजना–2004 के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी एक पंजीयन प्रमाण–पत्र पर एक से अधिक इकाईयों को योजनान्तर्गत सुविधा बावत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया :– आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा अवगत कराया कि मध्यप्रदेष उद्योग संवर्धन नीति–2004 अन्तर्गत प्रवेष कर छूट हेतु पृथक–पृथक पंजीयन आवष्यक हैं किन्तु उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत इकाईयों का वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत व्यापारी होना आवष्यक है । यदि इकाई वाणिज्यिक कर विभाग में पृथक–पृथक पंजीयन हेतु आवेदन करती है तो विभाग पृथक–पृथक पंजीयन जारी करता है । इकाईयों के द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के एक पंजीयन के आधार पर ही अन्य इकाइयां स्थापित की जाती है, एवं इस पंजीयन के आधार पर निवेष संवर्धन सहायता योजना का लाभ ले सकती है, किन्तु इन इकाईयों को वाणिज्यिक कर विभाग में पृथक–पृथक न होने के कारण प्रवेष कर से छूट का लाभ प्राप्त नही हो सकेगा ।

चर्चा उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि योजनान्तर्गत कंडिका क्रमांक 3.5 अनुसार ''इकाईयों के पृथक पंजीयन के संबंध में कोई निर्देष नही हैं, अतः प्रत्येक इकाई के लिए वाणिज्यिक कर विभाग का पृथक–पृथक पंजीयन आवष्यक नही है । इकाईयों के द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक कर विभाग के पंजीयन के आधार पर योजनान्तर्गत पंजीयन की कार्यवाही की जावे ।

6. **एजेण्डा क्रमांक 6 :–** मेसर्स पिनाकल इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का प्रथम वर्ष 2005–06 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया । इकाई का विस्तार अन्तर्गत उत्पादन दिनांक 04/02/006 है । महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में कुल पूंजी निवेष रू. 653.01 लाख में से रू. 454.04 लाख मान्य किया गया । इकाई द्वारा क्लेम प्रकरण योजनान्तर्गत निर्धारित समयावधि के अन्दर प्रस्तुत नही किया गया है, विलंब से आवेदन करने के कारणों के समर्थन में इकाई द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है । समिति द्वारा क्लेम आवेदन विलंब से प्रस्तुत किए जाने के कारणों पर विचार किया गया । विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने के कारणों को समाधान कारक मानते हुए विलंब अवधि को षिथिल किए जाने का निर्णय लिया गया ।

इकाई के क्लेम प्रकरण वर्ष 2005–06 के संबंध में विचार उपरांत योजनान्तर्गत इकाई की पात्रता अनुसार विस्तार अन्तर्गत कर की कुल जमा राषि का 50 प्रतिषत निवेष संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत राषि रूपये 10,47,534.00 (षब्दों में रूपये दस लाख सैंतालीस हजार पांच सौ चौंतीस मात्र) समिति द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृति की गई ।

7. **एजेण्डा क्रमांक 7 :–** मेसर्स क्वालिटी वोवेन सेक्स, रीवा का प्रथम वर्ष 2007–08 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया । इकाई का उत्पादन दिनांक 26/03/2008 है । महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रीवा के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में कुल पूंजी निवेष रू. 10,60,82,937.00 में से रू. 10,59,80,817.00 मान्य किया गया । इकाई द्वारा वाउण्ड्री बाल में राषि रूपये 3,14,204.00 व्यय किया गया है, जो इकाई के स्थायी निवेष की गणना हेतु मान्य नही है। अतः इस राषि को कम करने के पश्चात इकाई का मान्य स्थायी पूंजी निवेष रूपये 10,56,66,613.00 (षब्दों में दस करोड़ छप्पन लाख छियासठ हजार छः सौ तेरह मात्र) होगी ।

इकाई के क्लेम प्रकरण वर्ष 2007–08 के संबंध में विचार उपरांत योजनान्तर्गत इकाई की पात्रता अनुसार विस्तार अन्तर्गत कर की कुल जमा राषि का 75 प्रतिषत रूपये 65,549.00 (षब्दों में रूपये पैंसठ हजार पांच सौ उनचास मात्र) निवेष संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत समिति द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृति की गई।

8. **एजेण्डा क्रमांक 8 :–** मेसर्स भण्डारी फोईल्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (यूनिट–3) औद्योगिक क्षेत्र देवास का द्वितीय वर्ष 2007–08 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया । इकाई का विस्तार अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ दिनांक 26/03/2006 है । महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में कुल पूंजी निवेष राषि रू. 11,77,78,387.00 में से रू. 11,54,25,517.00 मान्य किया गया।

इकाई का वर्ष 2006–07 एवं वर्ष 2007–08 का वाणिज्यिक कर विभाग से कर निर्धारण हो चुका है । महाप्रबन्धक द्वारा राषि रूपये 3,55,27,619.00 को वास्तविक व देय मान्य कर इसकी 50 प्रतिषत राषि योजनान्तर्गत स्वीकृत हेतु अनुषंसा की गई है ।

महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत–देवास द्वारा ब्याज एवं शास्ति रूपये 1,86,662.00 को जमा कर के रूप में मान्य किया गया है । ब्याज एवं शास्ति पर योजनान्तर्गत सुविधा का लाभ दिया जाना उचित नही होगा। अतः इकाई को वर्ष 2007–08 हेतु कर निर्धारण आदेष अनुसार जमा कर पर इन्पुट टैक्स रिवेट के समायोजन पष्चात् मान्य कर राषि रूपये 3,53,40,957.00 का 50 प्रतिषत रूपये 1,76,70,478.00 स्वीकृति योग्य है ।

. इकाई को योजनान्तर्गत पूर्ववर्ती वर्ष 2006–07 में राषि रूपये 1,82,21,005.00 स्वीकृत कर वितरित की गई थी । इकाई का वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण अनुसार वेट एवं सीएसटी रू. 3,64,50,389.00 कर निरूपित किया गया है, एवं रूपये 6,26,503.00 का

इन्पुट टैक्स रिवेट भी मान्य किया गया है, अतः वर्ष 2006–07 में कुल जमा कर रूपये 3,58,23,886.00 का 50 प्रतिषत रू. 1,79,11,943.00 योजनान्तर्गत सुविधा की पात्रता आवेगी।

अतः योजनान्तर्गत पूर्व वर्ष 2006–07 में स्वीकृत एवं वितरित राषि में से उक्त राषि का समायोजन करने पर रूपये 3,09,062.00 का अधिक वितरण हुआ है । इकाई को वर्ष 2007–08 में स्वीकृत राषि में से उक्त राषि का समायोजन के पष्चात् वर्ष 2007–08 हेतु राषि रूपये 1,73,61,416.00 स्वीकृत योग्य होंगे ।

उक्त अनुसार इकाई के क्लेम प्रकरण वर्ष 2007–08 के संबंध में विचार उपरांत योजनान्तर्गत इकाई की पात्रता अनुसार विस्तार अन्तर्गत कर की कुल जमा राषि का 50 प्रतिषत में से गत वर्ष अधिक भुगतान की गई राषि का समायोजन करने के पश्चात राषि रूपये 1,73,61,416.00 (षब्दों में रूपये एक करोड़ तिहत्तर लाख इकसठ हजार चार सोलह मात्र) निवेष संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत समिति द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृति की गई ।

9. **एजेण्डा क्रमांक 9 :–** मेसर्स मैहर सीमेन्ट, सरला नगर, मैहर जिला सतना का वर्ष 2006–07 का क्लेम प्रकरण पूर्व में दिनांक 19.08.2008 को राज्य स्तरीय उद्योग निवेष संवर्धन सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, समिति के निणर्यानुसार इकाई के व्दारा क्षमता विस्तार हेतु कौन–2 से कार्य किए गए तथा प्लांट एवं मषीनरी में पूंजी निवेष किन–किन मदों में कितना–कितना किया गया था, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना से प्राप्त प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रतिवेदन के साथ इकाई के व्दारा प्लांट एवं मषीनरी में एवं केप्टिव पॉवर में किये गये पूँजी निवेष की जानकारी पृथक से प्रस्तुत की गई ।

समिति व्दारा प्रकरण पर विचार विमर्ष कर निर्णय लिया कि इकाई के व्दारा दी गई जानकारी से इकाई के विस्तार अन्तर्गत उत्पादन दिनांक एवं क्षमता पर क्या प्रभाव होगा, के संबंध में वाणिज्यिकर विभाग व्दारा परीक्षण कराकर आगामी बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे ।

10. **एजेण्डा क्रमांक 10 :–** मेसर्स देवास मेटल सेक्षन, अमोना जिला देवास, का वर्ष 2006–07 का क्लेम प्रकरण महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास का प्रतिवेदन, राज्य स्तरीय उद्योग निवेष संवर्धन समिति की बैठक दिनांक 19.08.2008 में लिये गये निर्णय के संदर्भ प्रस्तुत किया गया । बैठक में आयुक्त वाणिज्यिक कर के प्रतिनिधि श्री एच.पी. शर्मा, उपायुक्त, कार्यालय वाणिज्यिक कर, इन्दौर व्दारा अवगत कराया गया कि इकाई के प्रवेष कर से छूट से संबंधित प्रकरण पर निर्णय संबंधित राज्य स्तरीय समिति व्दारा लिया गया है, जिसमें इकाई की स्थापित क्षमता 9600 मे.टन मान्य की गई है, अतः इसी आधार पर इकाई का योजनान्तर्गत प्राप्त क्लेम प्रकरण पर विचार किया जाना उपयुक्त होगा ।

इकाई विस्तार योजनान्तर्गत दिनांक 26.02.2006 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है । इकाई व्दारा किये गये कुल पूॅजी निवेष रूपये 541.47 लाख में से राषि रूपये 518.29 लाख पूॅजी निवेष को मान्य करने हेतु महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास व्दारा अनुषंसा की गई है ।

समिति व्दारा व्दारा वाणिज्यिक कर विभाग के अभिमत को मान्य कर विचारोपरान्त इकाई के क्लेम प्रकरण वर्ष 2006–07 हेतु इकाई व्दारा विस्तार अन्तर्गत जमा की गई कर राषि का 50 प्रतिषत राषि रूपये 22,76,768.00 (षब्दों में रूपये बाईस लाख छिहत्तर हजार सात सौ अड़सठ मात्र) अनुमोदित कर स्वीकृति की गई ।

11. **एजेण्डा क्रमांक 11** :–मेसर्स एड–मेनम पैकेजिंग लि0, औद्योगिक क्षेत्र राऊ सोनवाय जिला इन्दौर का क्लेम प्रकरण वर्ष 2005–06 (द्वितीय क्लेम) प्रस्तुत किया गया । इकाई का विस्तार अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ दिनांक 01/03/2005 है । महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में कुल पूंजी निवेष रू.7,34,75,149.00 में से रू. 6,71,49,181.00 मान्य की गई ।

इकाई व्दारा वर्ष में कुल 4019 मे.टन उत्पादन किया गया है । इकाई के औसत क्षमता 1748 मे.टन के आधार पर वाणिज्यिकर विभाग व्दारा विस्तार अन्तर्गत कर भुगतान का पुष्टि प्रमाण पत्र जारी किया गया है । इकाई की स्थापित क्षमता 2016 मे. टन औसत क्षमता 1748 मे.टन से अधिक है, अतः इकाई की स्थापित क्षमता के आधार पर इससे अधिक उत्पादन 2003 मे.टन पर चुकाये गये कर को विस्तार अन्तर्गत मान्य कर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर की अनुषंसा के आधार पर अनुदान हेतु विचार किया गया ।

इकाई के क्लेम प्रकरण वर्ष 2005–06 के संबंध में विचार उपरांत महाप्रबन्धक की अनुषंसा अनुसार विस्तार अन्तर्गत कर की कुल जमा राषि का 50 प्रतिषत राषि रूपये 16,39,329.00 (षब्दों में रूपये सोलह लाख उन्तालीस हजार तीन सौ उन्तीस मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहातया योजनान्तर्गत समिति द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृति की गई।

12. **एजेण्डा क्रमांक 12** :– मेसर्स एड–मेनम पैकेजिंग लि0, औद्योगिक क्षेत्र राऊ सोनवाय जिला इन्दौर का क्लेम प्रकरण वर्ष 2006–07 (तृतीय क्लेम) प्रस्तुत किया गया । इकाई का विस्तार अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ दिनांक 01/03/2005 है । महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में कुल पूंजी निवेष रू. 7,34,75,149.00 में से रू. 6,71,49,181.00 मान्य की गई है ।

इकाई व्दारा वर्ष में कुल 5073 मे.टन उत्पादन किया गया है । इकाई के औसत क्षमता 1748 मे.टन के आधार पर वाणिज्यिकर विभाग व्दारा विस्तार अन्तर्गत कर

भुगतान का पुष्टि प्रमाण पत्र जारी किया गया है । इकाई की स्थापित क्षमता 2016 मे.टन औसत क्षमता 1748 मे.टन से अधिक है, अतः इकाई की स्थापित क्षमता 2016 मे.टन के आधार पर इससे अधिक उत्पाद 3057 मे.टन पर चुकाये गये कर को विस्तार अन्तर्गत मान्य कर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर की अनुषंसा के आधार पर अनुदान हेतु विचार किया गया ।

इकाई के क्लेम प्रकरण वर्ष 2006–07 के संबंध में समिति द्वारा विचार उपरांत योजनान्तर्गत इकाई की पात्रता अनुसार विस्तार अन्तर्गत कर की कुल जमा राषि का 50 प्रतिषत की पात्रता अनुसार कुल निवेष संवर्धन सहायता राषि रूपये 57,16,173.00 (षब्दों में रूपये सतावन लाख सोलह हजार एक सौ त्रिहतर मात्र) समिति द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृति की गई।

13. **एजेण्डा क्रमांक 13 :–** मेसर्स नेषनल स्टील एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. यूनिट–2 ग्राम सेजवाया (घाटा बिल्लोद) तहसील व जिला धार का क्लेम प्रकरण वर्ष 2005–06 (द्वितीय क्लेम) प्रस्तुत किया गया । इकाई का विस्तार अन्तर्गत उत्पादन दिनांक 04/11/2004 है । महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत विस्तार हेतु स्थिर अस्तियों में कुल पूंजी निवेष रू. 10392.81 लाख है में से रू. 9897.19 लाख मान्य किया गया ।

इकाई के क्लेम प्रकरण वर्ष 2005–06 के संबंध में समिति द्वारा विचार उपरांत योजनान्तर्गत इकाई की पात्रता अनुसार विस्तार अन्तर्गत कर की कुल जमा राषि का 75 प्रतिषत राषि रूपये 1,60,11,806.00 (षब्दों में रूपये एक करोड़ साठ लाख ग्यारह हजार आठ सौ छः मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता समिति द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृति की गई।

14. **एजेण्डा क्रमांक 14 :–** पूर्व बैठक में विलंबित किए गए क्लेम प्रकरणों पर निर्णय बावत् चर्चा ।

I. मेसर्स जयदीप इस्पात एण्ड अलॉयज प्रा0लि0, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का द्वितीय वर्ष 2007–08 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया । समिति व्दारा निर्णय लिया गया कि इकाई के व्दारा उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् अत्यधिक विलंब से पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था । समिति व्दारा पंजीयन हेतु विलंब को षिथिल नहीं किया गया है, अतः इकाई का पंजीयन निरस्त किया जाने का निर्णण लिया गया है, इसके कारण इकाई को योजनान्तर्गत सहायता की पात्रता नहीं आवेगी । अतः क्लेम प्रकरण निरस्त किया गया।

II. मेसर्स डिलाइट डेयरी लि0 देवास, का प्रथम वर्ष 2007–08 का क्लेम प्रकरण ।

मेसर्स डिलाइट डेयरी लि0 देवास, का प्रथम वर्ष 2007–08 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया । इकाई का उत्पादन दिनांक 15/09/2007 है । इकाई के पंजीयन सम्बन्धी प्रकरण का परीक्षण किया गया । इकाई द्वारा उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन दिनांक 27/09/2007 को किया गया है, पंजीयन

आवेदन में संभावित उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक अगस्त/सितम्बर 2007 का उल्लेख किया गया था। अतः ट्रायफेक, भोपाल द्वारा दिनांक 14/11/2007 को इकाई के पक्ष में पंजीयन जारी किया गया । प्रस्तुत क्लेम में उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 15/09/2007 है, अर्थात इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है । चर्चा उपरांत समिति द्वारा एजेण्डा क्र–4 में निर्णय लिया गया कि, इकाई व्दारा आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब को षिथिल कर इकाई को पंजीयन जारी किया जावे ।

उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में इकाई के क्लेम प्रकरण वर्ष 2007–08 पर समिति व्दारा विचार किया गया ।

महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत हेतु स्थिर अस्तियों में कुल पूंजी निवेष रू. 50779293.00 में से रू. 47420911.00 मान्य किया गया ।

इकाई के क्लेम प्रकरण वर्ष 2007–08 के संबंध में विचार उपरांत योजनान्तर्गत इकाई की पात्रता अनुसार अन्तर्गत कर की कुल जमा राषि का 50 प्रतिषत राषि रूपये 16,25,118.00 (षब्दों में रूपये सोलह लाख पच्चीस हजार एक सौ अठारह मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत समिति द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृति की गई । समिति द्वारा यह भी निर्देष दिए गए कि इकाई के पंजीयन के नियमितीकरण के आदेष जारी होने के बाद ही इकाई को राषि स्वीकृति के आदेष जारी किए जावें ।

उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई ।

(प्रवीण गर्ग)
प्रबंध संचालक
म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट
फेसिलिटेषन कार्पोरेषन लिमिटेड
एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय
निवेष सवर्धन साधिकार समिति

(सत्यप्रकाष)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेष शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग
एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय
निवेष संवर्धन साधिकार समिति